International Journal of Multidisciplinary Research and Development
Online ISSN: 2349-4182, Print ISSN: 2349-5979
Impact Factor: RJIF 5.72
www.allsubjectjournal.com
Volume 4; Issue 12; December 2017; Page No. 212-214

महिलाएँ और मानवाधिकार

Jasvinder Singh
Research Scholar, Barkatulla University, Bhopal, Madhya Pradesh, India

प्रस्तावना

महिलाएँ किसी भी समाज, किसी भी सभ्यता किसी भी संस्कृति या देश की आबादी का आधा हिस्सा होती है चूँकि देश के विकास में पुरुषों की भाग्यदारी में महिलाओं का त्याग तपस्या, बलिदान और योगदान जुड़ा रहता हैं,पर जब उपलब्धियों के आँकड़े पेश किए जाते हैं तो वह मात्र नीवं का पत्थर होती है, उससे अधिक कुछ भी नहीं।[1]

महिलाओं के ऊपर जितने भी अत्याचार होते हैं चाहे वह उत्पीड़न हो, शोषण हो या हत्या हो–सबके सब उसके मानवीय अधिकारों का हनन हैं और ये सभी अपराध हैं जो मानवाधिकार के क्षेत्र में आते हैं क्योंकि मानवाधिकार समानता का अधिकार हैं जीवन का अधिकार हैं इज्जत और स्वाभिमान का अधिकार है और उससे भी बढ़कर स्वाधीनता का अधिकार हैं।

नारी परतंत्र है इसलिए इसलिए उसका शोषण हो रहा है उसको समाज में दोयम दर्जा मिला है इसलिए उसके मानवाधिकार का हनन होता हैं और शायद तब तक होता रहेगा जब तक वह मानुष नहीं बन पाती है।[2]

हमारा देश भारत एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता वाला सांस्कृतिक देश है हड़प्पन सभ्यता से इसकी शुरूआत एक मातृसत्ताक समाज के तौर पर हुई पर आर्यों के आने से वहाँ प्रभुता का साम्राज्य हो गया। चूँकि पुरूषों के पास प्रभुता और शारीरिक क्षमता ज्यादा भी अतः उन्होंनें अपनी औरतों को अपने अधीन कर लिया फिर भी आर्य सभ्यता के शुरूआती दौर में जैसा कि इतिहास बताता या दर्शाता है या फिर जो निष्कर्ष हम निकाल लेते है वह यही हैं कि औरत कम से कम बराबरी के पायदान पर थी। उसकी पहुँच शिक्षा, ज्ञान–विज्ञान तक थी और स्वयंवर के माध्यम से वह अपने जीवन को अपनी बुद्धि और सोच के माध्यम से दिशा देने में स्वतंत्र थी। धीरे–धीरे कैसे यह स्वतंत्रता परतंत्रता में तब्दील हो गई यह दुःख का विषय है। कितने ऐसे साहित्यिक प्रमाण है कि विधवा स्त्रियों ने पुनर्विवाह किया है उदाहरणार्थ–बालि की पत्नी, रावण की पत्नी आदि।

फिर हमारा समाज कैसे इतना हिंसात्मक हो गया कि औरतों के ऊपर दरिंदगी की सारी पराकाष्ठाएँ उसने पार कर दीं और हैवानियत औरतो पर लाद दी धर्म और सामाजिक मान्यताएँ सदियों के साथ ऐसी बनती गई कि औरत की स्थिति बद से बदतर होती गई उससे भी दुखद यह है कि औरत धीरे–धीरे मानवीय पक्ष को छोड़ते हुए एक वस्तु विशेष के तौर पर प्रस्तुत हो गई।

हमारे सविंधान में इतने सुधारात्मक कानून है पर अफसोस है कि अभी भी हमारा समाज औरतों के प्रति एक बेहद संकीर्ण नजरिए से गुजर रहा हैं उसकी सोच महिला सम्मान के प्रति अभी भी बेहद दक्यिानूसी और कठोर हैं और यही दुख का विषय है औरत आज भी अपनी अस्मिता और सम्मान की लड़ाई लड़ रही है।[3]

मानवाधिकार क्या हैं। जब–जब ये शब्द हम अखबारों में पढ़ते हैं या कहीं देखते सुनते है तो हमें एहसास होता है कि हम मानव हैं और दूर– कहीं–दूर बहुत ही क्रूरतम शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पर तेजी से आती हुई, हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं और हमारे अन्दर से एक घुटी–घुटी सी चीख निकल रही हैं क्योंकि मानवता का शोषण हो रहा है और कहीं मानवाधिकार का हनन हो रहा होता है।

मानवाधिकार आखिर है क्याः मानवाधिकार किसी भी मानव का वह अधिकार है, जो उसके जीवन, आजादी, बराबरी और आत्मसम्मान से जुड़ा है यह अधिकार हमारा भारतीय संविधान और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा–पत्र उसको प्रदान करते हैं और भारतीय दंड संहिता के द्वारा उन्हें न्यायालय से यह अधिकार प्राप्त हैं। मानवधिकार वह अधिकार है जिसे मानव मात्र को मिलना चाहिए।[4]

भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषों के समान ही अधिकार मिले हैं। उनके लिए शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, समाज सेवा आदि सभी क्षेत्र खुले हुये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जब हमारे भाग्य का निर्माण अपने ही हाथों में आया तो भारत के विचारशील नेताओं ने नारी को सभी क्षेत्रों में समान अधिकार देने की बात को भी ध्यान में रखा। वह पुरूषों के समान ही सब प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अधिकृत की गई। लेकिन कुछ सामाजिक कुसंस्कारों ने अभी तक महिलाओं को अपने पिंजरे में जकड़ रखा है। आम भारतीय नारी यह भी नहीं जानती कि उनके कल्याण के लिए कौन–से कारण बने हैं? उन्हें कौन–कौन से अधिकार मिले हैं? इसलिए महिलाओं के लिए आरक्षण देश के सामाजिक–राजनीतिक जीवन में अपनी भूमिका निभाने के लिए आगे आए। आज की वास्तविकता यह है कि स्त्री को वह सम्मान प्राप्त नहीं है जो होना चाहिये। उसे निजी स्वार्थ के लिए परेशान किया जाता है तथा उसके अस्तित्व का दुरुपयोग किया जाता है महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार में पिछले कुछ दशकों से निरन्तर वृद्धि होती जा रही है।[5]

महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सर्वप्रथम आता है। भारतीय संविधन–भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों की गारंटी दी गई है। कानून की नजर में सब बराबर है तथा धर्म, जाति, लिंग जन्मस्थान एवं वंश के आधार पर भेदभाव नहीं बरता जा सकता। महिलाओं को सशक्त बनाना आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है उन्हें सशक्त बनोन का सबसे कारगर तरीका है उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकरी देना हे ताकि वे जान सके कि काननू के उन्हें किनती सुरक्षा प्रदान की है तथा कानून के द्वारा वे कौन–कौन से अधिकार प्राप्त कर सकती है? संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार तथा दर्जा दिया गया है। समय–समय पर कानून भी बनाए गए हैं जिससे कानूनी दृष्टि से महिलाओं की स्थिति मजबूत हुई है अतः महिलाओं को यह सब जानने के लिए शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है। वे शिक्षित हों तभी अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष कर एक आदर्श महिला बन सकती है।[6]

आजकल देश के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अन्य तरह से यौन उत्पीड़न की घटनाओं की खबरों की बाढ़ सी आई हुई है। इस परिप्रेक्ष्य में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल का यह कहना सर्वथा उचित प्रतीत होता है। कि बालिकाओं को शरीरिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए तथा इसके लिए उन्हें शुरू से ही जुडो–कराटे ओर आत्म रक्षा को अन्य कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने समाज में ऐसी मन' स्थिति बनाने पर भी जोर दिया है जिसमें बालिकाओं को बोझ नहीं बल्कि वरदान समझा जाए और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्हें जरूरी प्रशिक्षण दिया जाए। स्त्री पुरूष की समानता में विश्वास रखने वाला कोइ भी समाज राष्ट्रपति के इन विचारों से सहमत होगा। किसी विचार से सिद्धान्तः सहमत होना अलग बात है उस पर व्यवहार रूप से अमल करना अलग बात है।

हमारे देश और समाज में आमतौर पर ऐसा ही हो रहा है और महिला सशक्किरण के तमाम नारों के बावजूद अधिसंख्य महिला के लिए समान अधिकार की बात दूर के ढोल की तरह हैं। घर हो, दफ्तर हो या फिर कोई सार्वजनिक स्थान ही क्यों न हो, महिलाएँ कहीं भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। महानगरीय परिवारों को कुछ एक अपवादों को छोड़ दे तो ज्यादातर महिलाओं को यह तक पता नहीं है कि आर्थिक स्वतंत्रता किस चिड़िया का नाम है यहाँ तक कि ज्यादातर काम काजी महिलाओं को भी आर्थिक फैसले प्रायः घर के पुरूष सदस्यों से पूछकर भी लेने होते हैं। वह पुरूष पिता, पति अथवा भाई भी हो सकता हैं फिल्मों और टी. वी. सीरियलों में हम आमतौर पर जिन स्वतंत्र, स्वच्छंद और गर्वीली आधुनिकाओं को देखते हैं वे हमारे आसपास के समाज के अमूमन अपवाद के तौर पर भी दिखती है।[7]

''वाक्य अधूरा ही रहता, जब तक क्रिया नही होती पुरूष 'परष' ही रहता हैं, जब तक प्रिया नहीं होती।'' आदिकाल में बुद्धि के विकास के साथ ही उसने अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाया साथ ही संपत्ति का संग्रहण भी आरम्भ कर दिया। संपत्ति के संग्रहण के साथ ही उनके सामने समस्या आयी कि उसकी संपत्ति की देखभाल कोन करेगा ओर उसकी मृत्यु के बाद उसका उपयोग कौन करेगा? इसी विचार के साथ ही विवाह की आवश्यकता अनुभव हुई ताकि पुरूष द्वारा उसकी जीवन–संगिनी से उत्पन्न संतान भी उसकी उत्तराधिकारी होकर उसकी द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का उपयोग कर सकें। (महिलाओं के कानूनी अधिकार पेज 131)[8]

परिवार के दो स्तंभ होते है– पुरूष और नारी उन्हीं के संयुक्त प्रयास से परिवार बनते और चलते है, किन्तु परिवार की सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व नारी के कंधों पर ही आता है पुरूष ने स्वयं घर के बाहर के कार्य क्षेत्र को संभाल लिया है एवं स्त्री को घर के सभी कार्य जैसे– खाना बनाना, सफाई करना बच्चों की देखभाल करना आदि संभालने होते हैं।

परिवार के लिए नारी शक्ति स्वरूपा है। घर परिवार का पूरा वातावरण उसी के आचरण पर निर्भर करता है। नारी जन्मदात्री हैं बच्चों का प्रजनन ही नहीं पालन–पोषण भी उसी के हाथ में हैं। माता के द्वारा बच्चों को जा संस्कार बचपन में दिये जाते हैं वे जीवन भर उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं।[9]

आज के युग में नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है परन्तु पहले यह सोचना होगा कि नारी सशक्तिकरण क्या हैं क्योंकि यहीं से मानव की मूलभूत सामाजिक प्रक्रिया की लड़ाई होती हैं हर व्यक्ति चाहता है कि स्व ओर शक्ति की लड़ाई में वह सर्वदा आगे रहे। उसकी बात सुनी जाए उसे अहमियत मिले समाज में उसकी साख हो कीमत हो।

सशक्तिकरण के द्वारा लोग अपने जीवन से जुड़ी तमाम बातों पर अपना वर्चस्व और राय रखते हैं इससे उनकी जिन्दगी पर नियंत्रण (अधिकार) आ जाता है और सशक्तिकरण के माध्यम से लोग अपने जीवन में, अपनी जाति में। अपने समाज में एक ताकत प्राप्त कर लेते है। उन मुद्दो पर राय और सहमति बनाने की जो जरूरी है जागरूकता पैदा करने में।

आज हमारा देश और उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया महिला सशक्तिकरण की दिशा में पूरजोर काम भी कर रही है और इस और कदम बढ़ हरे है कि महिलाएँ अपने वजूद और अहमियत को पहचान सकें और पुरूषों के साथ कन्धें से कन्धा मिलाकर विकास की और बढ़ सके।[10]

आज की नारी किसी भी क्षेत्र में पुरूष से पीछे नहीं है चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर राजनैतिक। आज की नारी जहां आकाश में विचरण कर रही है वही खेलों में भी नारी में अपना परचम फहराया है। परन्तु फिर भी नारी अबला है क्योंकि आज भी पुरूष वर्ग उसको समानता का दर्जा नहीं देता। जबकि समाज में नारी का महत्व पुरूष से किसी भी श्रेणी मे कम नहीं हैं।[11]

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने अब तक महिलाओं की उन्नति के लिए और समुचित न्याय दिलाने हेतु तरह–तरह के कानून बनाये हैं पर इन सबके बावजूद भी ऐसा महसूस होता महिला वर्ग अधिकांशतः उन सब प्रयासों से लाभान्वित नहीं हो पाया है। इसके पीछे जाने–अनजाने अनेक कारण है जैसे–शिक्षा की कभी, रूढ़िवादिता आदि। शिक्षा की कमी होने के कारण महिलाएँ सरकार व समाज द्वारा उनके हित के लिए बनाए गए कानूनों को पूर्णतः नहीं जान पाती हैं ओर यदि आसपास से कुछ जानकारी मिल भी जाती है तो परिवार एवं समाज के कट्टरपंथी रूख के कारण महिलाएँ आगे कदम नहीं बढ़ा पाती हैं।

जो महिलाएँ हिम्मत करके आगे बढ़ती है इसमें कोई संशय नहीं है कि वह लाभान्वित भी होती है। परन्तु आगे आने वाली महिलाओं की संख्या नगण्य ही हैं इसके अलावा भारतीय पुरूष प्रधान समाज में चाहे हम लाख दावे करें कि नारी और पुरूष में कोई फर्क नहीं है, पर सच्चाई तो यह है कि स्वयं को निष्पक्ष और सापेक्ष समझने वाला पुरूष ही नारी को वह दर्जा नहीं देना चाहता। भीतर–ही भीतर वह कहीं न कहीं खौफजदा है कि यदि सत्ता नारी के हाथ में सौंप दी तो उसकी स्थिति कमज़ोर हो जाएगी वह अपना दबंग रूप फिर किस के सामने रखेगा।

आज की पूँजीवादी व्यवस्था में विशेषतः गरीब कामकाजी औरतें दोहरी गुलामी की शिकार हैं। उनकी मुक्ति के लिए या हिंसा से उनकी मुक्ति का कोई हल नहीं है। यह केवल समाजवाद है कि सही रूप में औरतों की मुक्ति उन्हें कानून के अन्दर समान अधिकार और कानूनी सुरक्षा देकर की जा सकती है। यह एक नया सामाजिक तंत्र है कि जिसमें दोनों औरत और पुरूष जो सभी में समान भागीदार हैं जो मुक्त होंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इस प्रकार नई तरह के परिवार का निर्माण होगा जहाँ न कोई पीड़ित होगा और न कोई खलनायक

अतः हमें निरन्तर असामनता से जूझना होगा और एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहाँ औरत उन्मुक्त हो स्वतंत्र हवा में विचर सके ओर गर्व से जीवन की, अस्मिता की, सम्मान की, बराबरी की लड़ाई जीत सके और बिना भेदभाव के जीवन याापन कर सकें।

अतः हम देखते है कि हमारा संविधान बहुत ही पुष्ट है महिला को बराबरी का अधिकार देने के लिए महिलाओं के हित में ढेर सारे कानून है पर जरूरत है सामाजिक सोच में बदलाव लाने की, जो महिला को बराबरी का दर्जा दे, उसको स्वीकार्य करे और सम्मान दें।

हमारे देश में एक कहावत है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। अतः हम स्त्रियों की पूजा न करें। कम से कम मानवी दर्जा तो दें। जरूरत है महिला की मानुषी बनने की लड़ाई में उसको सामाजिक और पारिवारिक हक मिले। तभी सही रूप में मानवता जीवन्त हो सकेगी।

हमारे संविधान के समस्त अधिकार महिलाओं के हित में हैं, जरूरत है सामाजिक जागरूकता की और उनका कार्यान्वयन ठीक से हो, तब कोई भी नारी आपने जीवन में सिसकियाँ लेने को मजबूर नहीं होगी।

कदम–कदम पर कदम बदलना जरूरी है
हमारी सोच से आगे निकल गेई दुनिया
अपनी सोच बदलना जरूरी है

सन्दर्भ

1. महिला अधिकार – ममता मेहरोत्रा राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अंकारी मार्ग नई दिल्ली – 110002
2. महिला अधिकार – ममता मेहरोत्रा राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अंकारी मार्ग नई दिल्ली – 110002
3. महिला अधिकार – ममता मेहरोत्रा राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अंकारी मार्ग नई दिल्ली – 110002
4. महिला अधिकार – ममता मेहरोत्रा राधा कृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड अंकारी मार्ग नई दिल्ली – 110002
5. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
6. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
7. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
8. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
9. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
10. महिलाओं के कानूनी अधिकार – डॉ० महेन्द्र कुमार मिश्रा दिव्य प्रकाशन 1093
11. नारी चेतना – रमन खटीक